न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 35/2011/223 आर टी ए

जसकरणसिंह पुत्र सुखदेवसिंह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. मलकीतसिंह पुत्र हाकमसिंह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. बलकरणसिंह पुत्र हाकमसिंह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. हाकमसिंह (फौत) नाम विलोपित किया गया।
4. नसीबकौर (फौत)

4/1 हरदीपसिंह पुत्र सुखदेवसिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 16 अम्बेडकर कॉलोनी अमरसिंह के आरे के पास हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

4/2 तल्लासिंह पुत्र सुखदेवसिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 16 अम्बेडकर कॉलोनी अमरसिंह के आरे के पास हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

4/3 कर्मजीत कौर पत्नि पम्मासिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

5. सुखदेवसिंह पुत्र मितसिंह निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
6. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।
7. गुरमेलसिंह पुत्र जरनैलसिंह (फौत) नाम विलोपित।
8. गुरमेलकौर पत्नि सुखदेवसिंह जाति जटसिख निवासी खाटसजवार तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद गांव बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

–– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 12.08.1999 न्यायालय सहायक कलैक्टर संगरिया प्रकरण संख्या 49/1999 अनवानी मलकीतसिंह आदि बनाम हाकमसिंह आदि

उपस्थित :–

श्री वतनदीप सिंह अधिवक्ता अपीलांट

श्री राजेन्द्र सिंह मोट्यार अधिवक्ता रेस्पो0

श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 6

निर्णय दिनांकः–26.04.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1, 2 व 6 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए पेश किया कि चक 25 एएमपी खाता सं. 33/29 खाता नसीबकौर आदि मे मितसिंह पुत्र अनूपसिंह के नाम 11.293 है0 व इसी भूमि की आमदनी से रेस्पो0 सं. 4 के नाम से खरी की गई 3.028 है0 व इसी चक के अन्य के खाता मे 1.605 है0 व अपीलांट के नाम से खरीद की गई 1.884 है0 दर्ज कागजात है। तमाम जद्दी जायदाद है जिसमे रेस्पो0 सं. 1 ता 3

वादी सं. 1व 2 व प्रतिवादी सं. 1 का कुल मे 8.799 है0 व वादी सं. 3 प्रतिवादी सं. 3 व 4 के हिस्सा मे कुल 9.011 है0 आई। इसलिये इसी अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किया जावें। वादी मे अपीलांट को प्रतिवादी सं. 4 बनाया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई हेतु व समुचित जवाबदेही हेतु अवसर दिये जाने बाबत कोई नोटिस/सम्मन नही दिया गया अपितु सभी रेस्पो0 ने आपस मे साज बाज कर अपीलांट का नाम वाद मे कलमजन करवा दिया और वाद डिक्री करवा लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्टस ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्टस ने अपनी बहस में कथन किया कि वास्तविक तथ्य यह है कि अपीलांट के पड़दादा अनूपसिंह से अपीलांट के दादा मितसिंह को चक 25/1 एएमपी मुश्तर्का खाता मे कुल 11.293 है0 रकबा प्राप्त हुआ जो जद्दी था इसके अलावा पंजाब के ग्राम लूड़वाई तहसील बठिण्डा मे एक खाता मे 27 कनाल व दूसरे खाता मे 23 कनाल 10 मरले भूमि थी मितसिंह ने इस भूमि को सन् 1990 मे विक्रय कर दिया और कुल विक्रय राशि 4 लाख 57 हजार मे 1/2 हिस्सा राशि अपने बड़े पुत्र हाकमसिंह को दे दी व शेष 1/2 हिस्सा की राशि जो छोटे पुत्र सुखदेवसिंह की थी, से इस राशि मे अपनी पत्नि नसीबकौर के नाम 3 पंजीबद्ध विक्रय पत्र के जरिये कुल 4.633 है0 भूमि खरीद की। जहां तक चक नं. 25/1 एएमपी तहसील संगरिया के मितसिंह के नाम दर्ज भूमि का संबंध है, उसमे सुखदेवसिंह रेस्पो0 सं. 5 व अपीलांट का बहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा है कानूनन था एवं पंजाब के ग्राम लूलबाई की जद्दी जायदाद विक्रय कर रेस्पो0 सं. 4 के नाम खरीद की गई 4.633 है0 जो कि जद्दी जायदाद थी, मे भी अपीलांट का 1/2 हिस्सा कानूनन औद हुआ। इस प्रकार चक 25/1 एएमपी जो मितसिंह के नाम की भूमि थी, मे अपीलांट का 1/4 हिस्सा यानि 2.823 है0, ग्राम लूलबाई की जद्दी जायदाद को विक्रय कर रेस्पो0 सं. 4 के नाम खरीद की गई भूमि 4.633 है0 मे 1/2 हिस्सा यानि 2.316 है0 कुल 5.139 है0 का अपीलांट कानूनी हकदार है। लेकिन रेस्पो0 ने अपीलांट को उक्त जद्दी जायदाद मे कोई हक व हिस्सा नही दिया तब अपीलांट ने अन्य व्यक्तियो की जमीन हिस्सा ठेका पर लेकर स्वयं के नाम से चक 25/1 एएमपी मे दो बैयनामो के जरिये दिनांक 18.03.1995 को 1.884 है0 बारानी भूमि खरीद की जो अपीलांट की स्वअर्जित सम्पति है। अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया यदि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाता है तो अपीलांट तमाम विधि व वास्तविक तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य सहित प्रस्तुत करता। घरूबंटवारा दिनांक 28.04.08 को हुआ जिसमे कुल 36 बीघा भूमि पर बैंक लोन लिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हुआ था तथा घरूबंटवारा मे यह तय हुआ कि अपीलांट यदि लोन की राशि 564655/– रू0 दिनांक 25.08.08 तक अदा कर देगा है, 10 बीघा भूमि अपीलांट को इस बैंक लोन अदायगी पेटे दी जायेगी व शेष भूमि 26 बीघा मे अपीलांट का 1/3 हिस्सा दिया गया, घरूबंटवारा के अनुसरण मे अपीलांट ने तमाम बैंक लोन अदा कर दिया तब अपीलांट का बंटवारा कर राजस्व रिकार्ड मे अपीलांट का नाम अंकन करवाने हेतु कहता रहा परन्तु आज तक रेस्पो0 नही करवाया गया। अपीलांट को दिनांक 04.04.11 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का सर्वप्रथम ज्ञान हुआ इससे पहले अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का कोई ज्ञान नही था। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त की जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि अपील मे पूर्व मे रेस्पो0 एवं अपीलांट द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया जा चुका है। राजीनामा के अनुसार अपील का निस्तारण किये जाने मे रेस्पो0 सहमत है। अतः मुताबिक राजीनामा अपील का निस्तारण किया जावें।
5. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. सं. 6 ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।
6. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए के तहत प्रस्तुत कर अपीलांट एवं अपीलांट के दादा मितसिंह के नाम दर्ज भूमि के संबंध मे खातेदार घोषित करवाने हेतु अनुतोष चाहा गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद वादीगण स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई तथा अपीलांट के नाम दर्ज भूमि रेस्पो0/वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज करते हुए अपीलांट का राजस्व रिकार्ड से नाम कलमजन किये जाने का निर्णय पारित किया गया। परन्तु अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व समुचित सुनवाई एवं जवाबदेही का अवसर प्रदान नही किया गया और ना ही अपीलांट की तामील विधिवत रूप से करवाई गई। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि जो अपीलांट के नाम दर्ज थी, को अपीलांट को बिना सुने एवं बिना विधिवत तामील करवाये रेस्पो0/वादीगण के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये गये जो विधिपूर्ण नही होने के कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना न्यायसंगत नही है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट आंशिक रूप

Web Copy - Not Official

से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 12.08.2009 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे अपीलांट एवं अन्य प्रभावित पक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूतो के आधार पर प्रकरण तनकीयात कायम करते हुए पुनः नये सिरे निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 25.05.2018 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 26.04.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official